न्यूज इनबॉक्स

ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध की मौत, झाड़ियों में मिला शव

सागर। बहेरिया थाना क्षेत्र में ग्राम पिपरिया के पास सागर-दमोह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। शव ट्रैक के बाजू से लगी झाड़ियों में पड़ा मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया। पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल भेजा गया। मामले में पुलिस ने मृतक की शिनाख्त के लिए आसपास के गांवों में जानकारी जुटाई। जिसके बाद परिवार वाले अस्पताल पहुंचे। मृतक की पहचान पटेरा दमोह निवासी 64 वर्षीय बद्रीप्रसाद पिता परमानंद सोनी के रूप में हुई है। परिवार वालों ने पुलिस को बताया कि मृतक बद्रीप्रसाद सानौधा में अपनी बेटी के पास रहते थे। मृतक का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। वे खाना खाने के बाद घर से बगैर बताए निकले थे। जब वे घर नहीं लौटे तो तलाश शुरू की। आसपास और रिश्तेदारों में तलाश करने पर भी नहीं मिले। इसी बीच सुबह जानकारी मिली की रेलवे ट्रैक पर बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला है। मामले में सानौधा थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

जनसुनवाई में सुनीं गई समस्याएं

सागर। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में संयुक्त कलेक्टर सीएल वर्मा एवं डिप्टी कलेक्टर शशि मिश्रा ने आम लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण करने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिले के 107 आवेदकों के प्रकरणों में सुनवाई कर कार्रवाई की गई।

IPL • 10 हजार की आईडी पर करोड़ों के यस-नो का खेल, पुलिस ने पकड़े छोटे बुकी

बड़े सटोरियों ने दिल्ली, भोपाल में बैठकर खिलाया सट्टा, ई-वॉलेट से हुआ लेनदेन

भास्कर न्यूज | सागर

आईपीएल क्रिकेट में इस बार सटोरियों की खूब मौज रही। पिछले दो साल से हो रही कार्रवाई के डर से इस बार बड़े सटोरियों ने दिल्ली, भोपाल और कटनी में बैठकर सट्टा खिलाया और सारा लेनदेन ई-वॉलेट से किया। यही वजह है कि सागर पुलिस के हाथ इस बार केवल छोटे-मोटे सटोरिए ही लग सके। इस बार आईडी का रेट 10 हजार रुपए था, जिस पर करोड़ों के यस-नो का खेल हुआ। बड़े सटोरियों के गुर्गे शहर में एक्टिव रहे, इन्हीं में से चार सटोरियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है।

मोतीनगर में पकड़ा था सटोरी

आईपीएल के दौरान शहर में केवल मोतीनगर थाना पुलिस ने सट्टा खिलाने वालों पर कार्रवाई की। जिसमें राहतगढ़ ओवरब्रिज से विजय टॉकीज निवासी अंकुर पुत्र वीरेन्द्र सतभैया उम्र 32 साल को पकड़ा था। आरोपी के पास से मोबाइल और नकद आठ हजार रुपए जब्त हुए। वहीं मोबाइल में आईपीएल सट्टा खिलाने की आईडी मिली। जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया।

पिछले साल 85 लाख से ज्यादा का कैश हुआ था बरामद

अब तक आईपीएल के सट्टे को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई पिछले साल की गई थी। जिसमें कोतवाली पुलिस ने भीतर बाजार इलाके से 63 लाख रुपए और गोपालगंज पुलिस ने सटोरिए से 24 लाख रुपए बरामद किए थे। इसके अलावा कार में बैठकर सट्टा खिलाने वालों पर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन इस बार मोतीनगर पुलिए ने केवल 4 सट्टेबाजों पर कार्रवाई करते हुए केवल औपचारिकता ही पूरी की है।

महादेव, स्काई ब्लू, ऑरेंज जैसी आईडी रहीं एक्टिव

आईपीएल के लिए पिछले साल तक सटोरिए बिगबॉस 9 एक्सचेंज, क्रिकेट माजा-11, टाईगर 777, स्टारबुक 247 जैसे एप से सट्टा खिला रहे थे। वहीं इस बार महादेव, स्काई ब्लू, ऑरेंज जैसी आईडी एक्टिव रहीं। इन आईडी पर आईपीएल के मैचों का सट्टा खिलाया गया। मुख्य सटोरिए शहर से बाहर बैठकर ऑनलाइन बुकिंग लेते रहे। सटोरियों के अनुसार क्रिकेट के तीनों फार्मेट वनडे, टेस्ट और टी-20 में सट्टा खेला जाता है। लेकिन 2 माह तक चलने वाले आईपीएल के लिए सटोरियों में सबसे ज्यादा क्रेज है।

हार-जीत पर 10 गुना तक देते हैं पैसा, ओवर के सेशन रेट होते हैं डबल

सटोरिए सट्टा खेलने वाले भरोसेमंद लोगों से संपर्क में रहते है। वे उन्हें सट्टा खेलने के लिए ई-आईडी की लिंक देते हैं। इसके बाद आईडी खोलने के लिए पॉसवर्ड दिया जाता है। आईडी ओपन होने पर ऑनलाइन और कैश दोनों फार्मेट में पैसों का लेन-देन किया जाता है। आईपीएल मैच शुरू होते ही आईडी पर मैच की हर गेंद पर सट्टा लगाने का खेल शुरू होता है। आईडी पर सट्टा लगाने के रेट होते हैं। सटोरिए मैच में चौका-छक्का पर डबल पैसा देते हैं। वहीं मैच के ओवरों के सेशन में भी डबल पैसा दिया जाता है। सेशन यानी 20 ओवरों के मैच में 4 सेशन बनाए जाते है। इसमें पहला 6 ओवर, दूसरा 10, तीसरा 15 और चौथा 20 ओवर का रहता है। मैच के पहले 6 ओवर में बेटिंग टीम कितने रन बनाएगी। इसमें रनों का ऑप्शन दिया जाता है। सही ऑप्शन खेलने वाले को सट्टा पर लगाए रुपयों की डबल राशि दी जाती है।

यात्री बस ने मारी बाइक सवार को टक्कर, तीन गंभीर घायल

भास्कर न्यूज | सागर

केसली-टडा रोड पर बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। जिससे बाइक बस के नीचे जा घुसी। घटना में बाइक सवार तीन लोग घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार दोपहर करीब एक बजे केसली-टड़ा रोड पर नारायणपुर गांव के पास तेज रफ्तार बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार तीन लोग गंभीर रुप से घायल हो गए। घायलों में 35 वर्षीय प्रीति रानी, 34 वर्षीय सुगंधी एवं 20 वर्षीय रामबाबू यादव शामिल हैं। जिन्हें सीएचसी अस्पताल केसली में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है।

हार की बौखलाहट साफ नजर आ रही है

भास्कर न्यूज | सागर

कांग्रेस नेत्री निधि सुनील जैन ने भाजपा नेत्री लता बानखेडे द्वारा कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के खिलाफ दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 500 रुपए रसोई गैस और 1500 महिलाओं के खाते में जमा करने की बात कही है। इससे भाजापा की हताशा लता वानखेड़े के बयान में साफ दिख रही है। कांग्रेस घोषणा नहीं करती, वचन देती है। जिसका उदाहरण पिछली कमलनाथ सरकार के 15 माह का कार्यकाल में जो कहा वो किया। लेकिन भाजपा कर्नाटक चुनाव से घबरा गई है। बयान की निंदा करने वालों में पूर्व विधायक सुनील जैन, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेन्द्र चौधरी, सुरेंद्र सुहाने, अशोक श्रीवास्तव, रामकुमार पचौरी, बब्बू यादव प्रशात समौया राजा सेन आदि शामिल हैं।

हत्या कर लाश नदी में फेकने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, मछली पकड़ने से रोकने पर की थी हत्या

भास्कर न्यूज | सागर

जिला न्यायालय सागर के अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश फरहतुल अहमद द्वारा हत्या और साक्ष्यों को नष्ट करने के प्रकरण में धारा 302 धारा 201 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्त करण रैकवार को आजीवन कारावास तथा 500 के अर्थदंड से दंडित किया गया। मध्यप्रदेश शासन के अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने बताया कि उक्त घटना नरयावली थाना के अंतर्गत ग्राम खैरा सलैया जहां 13 व 14 दिसंबर 2021 की दरमियानी रात 2 बजे के समय जब अभियुक्त करन रैकवार धसान नदी के किनारे आग जलाकर मछली पकड़ रहा था तब मृतक विष्णु यादव द्वारा उसे मछली पकड़ने से मना किया गया और वहां जल रही आग में उसने लात मारी तब अभियुक्त द्वारा वहीं पड़ी ऊमर की लकड़ी से उसने मृतक विष्णु यादव को जान से मारने की नियत से सिर में दो-तीन लकड़ी मारी नशा मृतक के गिर जाने के बाद उसके शव को धक्का देकर नदी में फेंक दिया। जिसे अभियुक्त के विरुद्ध साक्षीगणों द्वारा बताए जाने पर थाना नरयावली द्वारा प्रकरण की विवेचना जांच की गई तथा मामला पंजीबद्ध किया गया। पूर्व में मृतक के परिजनों ने मृतक के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस की जांच विवेचना उपरांत साक्ष्यों सहित कथन अनुसार जांच करके मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम भी कराया जिसमें मृतक की मृत्यु सिर में चोट होने एवं पानी में डूबने से संयुक्त रूप से होना बताया गया था एवं घटनास्थल से घटनास्थल से पुलिस के द्वारा घटना में प्रयुक्त लकड़ी मृतक का जूता घटनास्थल के पास से रुमाल की पोटली में सूखी रोटियां स्टील की कटोरी इत्यादि जब्त की गई। संपूर्ण विवेचना के उपरांत मामला न्यायालय के समक्ष लाया गया। मामले में अभियोजन द्वारा अपना पक्ष रखा गया और न्यायालय द्वारा पाया गया कि विष्णु यादव की मृत्यु अभियुक्त करन रैकवार द्वारा की गई है जिस कारण उसे दोषी मानते धारा 302 में आजीवन कारावास का कठोर दंड आदेश सुनाया गया तथा 500 अर्थदंड दिया गया। अर्थदंड में व्यतिक्रम के संबंध में 6 माह के अधिक कठोर कारावास की सजा सुनाई गई तथा पूर्व में अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई अवधि को मूल सजा में समायोजित करने का भी आदेश सुनाया गया। दंड आदेश सुनाने के बाद अभियुक्त को केंद्रीय जेल सागर भेज दिया गया है प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक पौराणिक ने की।

पहलवानों के समर्थन में सौंपा ज्ञापन

भास्कर न्यूज | सागर

भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरना दे रहे पहलवानों को जंतर-मंतर से पुलिस ने हटा दिया है। साथ ही पहलवानों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसके विरोध में मंगलवार को एआईडीएसओ के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा कि भारतीय कुश्ती संघ में हो रहे यौन शोषण के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर महिला पहलवानों के आह्वान पर महिला सम्मान महापंचायत होने वाली थी। जिसमें शामिल होने जा रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं व जन आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी और आंदोलनकारी पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को गिरफ्तार कर दिल्ली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। जिसकी संगठन निंदा करता है।

सागर जिला जल अभाव ग्रस्त घोषित, नलकूप खनन पर लगी रोक

सागर| कलेक्टर दीपक आर्य ने आगामी पेयजल संकट को देखते हुए सागर जिला को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया है। उन्होंने मप्र पेय जल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सागर जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को 29 मई से 30 जून तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। जिले में गिरते भू-जल को देखते हुए अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं नगरीय निकाय के अधिकारियों ने अवगत कराया था कि जल स्तर गिरने एवं अधिकांश जल स्त्रोतों के सूख जाने के कारण आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट की संभावना बन सकती है। इससे देखते हुए जिले में मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत पेयजल के अलावा अन्य प्रयोजन के लिए नए निजी नलकूपों के खनन पर प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले की सीमा में नलकूप, बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अनुमति के बिना न तो प्रवेश करेगी और न ही बिना अनुमति के कोई नलकूप खनन करेगी। अफसरों को ऐसी बोरिंग मशीनों को जो अवैध रूप से जिले में प्रतिबंधित स्थानों पर प्रवेश करेगी अथवा नलकूप खनन, बोरिंग का प्रयास कर रही एजेंसियों को जब्त कर एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार रहेगा।

HDFC BANK

प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड, सिविल लाईन, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी की बिक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी बिक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणी(यों)/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(रों) द्वारा उसके भुगतान में विफलता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अधोहस्ताक्षरी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** उसकी बिक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचे दी गई संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर आयोजित की जायेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	समान बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि / मांग सूचना दिनांक	निरिक्षण की तिथी एवं समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली बढ़ाने की राशि	ई-नीलामी की तिथी/ समय	बोली प्राप्ती हेतु अंतिम तिथी	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/फोन नं./ ई-मेल आईडी
शाखा- छतरपुर एवं खाता : जय शिव इंटरप्राईजेस	श्री आजाद कुमार अग्रवाल एवं श्री शंकरलाल अग्रवाल	स्थित संपत्ति वार्ड नं. 08, मकान नं. 295, ग्राम-गुलगंज, तहसील-बिजवाड, जिला-छतरपुर (म.प्र.) स्थित संपत्ति। **संपत्ति मालिक : श्री आजाद कुमार अग्रवाल**	रु. 12,86,160.90/- 13-05-2016	09/06/2023 सुबह 10.00 बजे से आगे तक	आरक्षित मूल्य Rs.14,00,000/- ईएमडी Rs.1,40,000/- बोली बढ़ाने की राशि Rs.10,000/-	20/06/2023 प्रात: 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक	17/06/2023 सायं 4 बजे तक	आशीष रावत Ashish.rawat9@hdfcbank.com 9981126266 सुनील भानुशाली : 9323176985

नियम एवं शर्तें

1. ई-नीलामी **''जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर''** आयोजित की जा रही है।
2. इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल **https://www.bankeauctions.com** पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड **https://www.bankeauctions.com** पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 02400930000063 खाता का नाम : FUNDS TO BE CLEARED : DOC SERV, लाभार्थी का नाम : एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड : HDFC0000240 में एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/डिमांड डाफ्ट ईएमडी राशि के रुप में स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
3. प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर नियम एवं शर्तों में उल्लिखित के अलावा कोई अन्य भार अर्थात संविधिक बकाया जैसे संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंविधिक बकाया/संविधिक बकाया/अधिभारों/बकाया करों/मुकदमेबाजी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट कर लें। **संपत्ति का निरिक्षण उपर वर्णित तिथी एवं समय में ही किया जा सकता है।**
4. ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हे लॉगीन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता **मे. सी 1 इंडिया प्रा. लि., प्लाट नं. 301, गल्फ पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुड़गांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री मिथिलेश कुमार, मोबाईल : 7080804466 एवं श्री हरीश गोवडा मो.: 09594597555,** हेल्पलाईन ई-मेल आईडी : **support@bankeauctions.com** से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधि पूछताछ के लिए **उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी** से कार्यालय अवधि (प्रात: 10.00 बजे से 5.00 बजे) के दौरान कार्यदिवसों को संपर्क करें।
5. उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
6. **(विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाईट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)**

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) सपठित नियम 9(1) के तहत सांविधिक 15 दिनी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6)/ नियम 9(1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को ऊपर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रुप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 15 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अद्यतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिसूचित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

दिनांक : 30.05.2023, स्थान : छतरपुर

ARPITA ADVT.

प्राधिकृत अधिकारी
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड

पुलिस की नौकरी चुनौतीपूर्ण, जितना बेसिक सीखेंगे, वही काम आएगा : डीजीपी

सागर| प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने मंगलवार को पुलिस प्रशिक्षण शाला मकरोनिया का भ्रमण किया । इस दौरान सर्वप्रथम आंतरिक प्रशिक्षण शाखा का निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षणरत नव आरक्षकों के संचालित कक्षों का अवलोकन किया एवं साथ ही नव आरक्षकों को तकनीकी रूप से स्मार्ट क्लासेस के पाठ्यक्रम की जानकारी प्राप्त की। गौर भवन में आयोजित प्रशिक्षु संवाद कार्यक्रम में प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए बताया कि वे अपने प्रशिक्षण अवधि के दौरान एक माह के लिए जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर आये थे। उस समय वे पद्माकर छात्रावास में ही रूके थे। प्रशिक्षण में तैनात सभी अधिकारी व कर्मचारियों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशिक्षुओं का भविष्य आपके हाथ में है, अच्छा सिखाएंगे वही सीखेंगे । आपका कार्य बड़ा ही पवित्र एवं जिम्मेदारी का है। प्रशिक्षण के दौरान आदर्श तरीका बताए। प्रशिक्षण के दौरान नवआरक्षकों को अवकाश जैसी छोटी-छोटी परेशानी आती है, उनका समुचित निराकरण किया जाएं। प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण देने के दौरान अनुशासन बना रहें। अच्छा व्यवहार रखें एवं पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि आप प्रशिक्षण के दौरान जितना बेसिक सीखेंगे, वही आप को आगे भी आपकी पुलिस सेवा के दौरान काम आएगा। पुलिस की नौकरी चुनौतीपूर्ण है। अतः आप प्रशिक्षण के बाद मैदानी क्षेत्र में ईमानदारी एवं निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। मध्यप्रदेश पुलिस का गौरवशाली इतिहास है । हमारी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसे बरकरार रखे। मध्यप्रदेश पुलिस ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। मध्यप्रदेश पुलिस का मूल मंत्र देश भक्ति जन सेवा है आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस मूल मंत्र को आगे बढ़ायें। कोरोना में मध्यप्रदेश पुलिस ने समाज की निःस्वार्थ सेवा की है। कुछ पुलिस अधिकारी शहीद भी हुए हैं ।पुलिस सेवा का माध्यम है।

शिक्षिका ने टीचर पति के ट्रेनिंग पर जाते ही लगा ली फांसी, मौत

भास्कर न्यूज | सागर

प्रधानाचार्य बनने से पहले एक शिक्षका ने दुनिया को अलविदा कह दिया। टीचर पति के ट्रेनिंग में जाते ही शिक्षिका ने सुसाइड कर लिया। जब पति ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा तो उसे फोन पर सूचना मिली कि पत्नी ने फांसी लगा ली है। जिसके बाद वो ट्रेनिंग छोड़कर घर पहुंचे, लेकिन तब तक पत्नी दम तोड़ चुकी थी। मामला गढ़ाकोटा का है। सरकारी प्राइमरी स्कूल में पदस्थ सुधा रावत दमोह रोड पर निवास करती थीं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ाई करते हैं। घर पर सुधा अपने टीचर पति और भतीजे के साथ रहती थीं। स्कूल में कुछ दिन बाद सीनियर टीचर होने की वजह से प्रधानाचार्य का प्रभार भी मिलने वाला था। लेकिन मंगलवार को सुबह सुधा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबित भतीजा अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। सुधा ने उसे दूध गर्म करके दिया और अपने कमरे में चली गईं। कुछ समय बाद जब कमरे से बाहर नहीं निकलीं तो भतीजे ने आवाज लगाई, लेकिन कोई आवाज नहीं आई तो उसने किराएदारों को सूचना दी और फिर खिड़की से देखा तो सुधा अंदर लटक रही थी। तत्काल ही दरवाजे तोड़कर उसे नीचे उतारकर गढ़ाकोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी रजनी कांत दुबे ने बताया कि मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बीमारी की वजह से परेशान होकर यह कदम उठाने की बात लिखी है। शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

epaper-bhaskarhindi-com.wl6-demo.readwhere.com